**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या. 1460**

**(सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)**

**लेह और कारगिल के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए सीएसआर निधि**

**1460. श्री मोहम्मद हनीफ़ाः**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार लद्दाख जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में कंपनियों द्वारा किए गए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खर्च का जिला-वार रिकॉर्ड रखती है;

(ख) यदि हाँ, तो लेह और कारगिल जिलों में किए गए कुल सीएसआर योगदान का ब्यौरा क्या है और उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें इन निधियों का उपयोग किया गया था और विगत पांच वर्षों के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को लद्दाख जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों में अपने सीएसआर कोष का एक हिस्सा आवंटित करने, प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या लद्दाख के संघ राज्यक्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ ऊर्जा और जनजातीय कल्याण से संबंधित सीएसआर परियोजनाओं को प्राथमिकता देने के लिए कोई प्रोत्साहन या नीतिगत ढांचा मौजूद है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।**

**(श्री हर्ष मल्होत्रा)**

(क) और (ख): जी हां, सरकार संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख सहित पूरे देश के लिए जिला-वार सीएसआर व्यय के आंकड़े रखती है। एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल किए गए सीएसआर व्यय से संबंधित सभी आंकडे जिनमें राज्य-वार, जिला-वार, वर्ष-वार, कंपनी-वार शामिल हैं, www.csr.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जिला-वार सीएसआर आंकड़े और लेह और कारगिल में सेक्टर-वार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-I, अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न हैं।

(ग) और (घ): कंपनी अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनको निष्पादित करने और उनपर निगरानी करने के लिए अधिकृत है। इस समिति का कार्य सीएसआर नीति तैयार करना और सिफारिश करना है, जो अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों के अनुरूप कंपनी द्वारा की जाने वाले कार्यकलापों की रूपरेखा तैयार करती है। सरकार कंपनियों को किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में या किसी विशेष कार्यकलाप के लिए व्यय करने संबंधी कोई विशिष्ट निर्देश जारी नहीं करती है।

*****

**अनुलग्नक-I**

**09.02.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1460 के भाग (ख) से संदर्भित वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जिलेवार सीएसआर व्यय**

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | जिला | वित्तीय वर्ष 2019-20 | वित्तीय वर्ष 2020-21 | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | कारगिल | - | - | 3.35 | 1.26 | 2.98 |
| 2. | लेह | - | - | 10.46 | 10.46 | 21.22 |
| 3. | जिला जिसे अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है | - | - | 1.03 | - | 6.20 |
| कुल | | - | - | 14.84 | 11.72 | 30.41 |

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

**अनुलग्नक-II**

**09.02.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1460 के भाग (ख) से संदर्भित वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक लेह जिले में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय**

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | विकास क्षेत्र | वि.व. 2019-20 | वि.व. 2020-21 | वि.व. 2021-22 | वि.व. 2022-23 | वि.व. 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पशु कल्याण | - | - | - | 0.02 | 0.55 |
| 2. | सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, वीरांगनाए/आश्रित | - | - | - | 0.30 | - |
| 3. | कला और संस्कृति | - | - | - | - | 0.18 |
| 4. | शिक्षा | - | | 4.70 | 2.67 | 8.64 |
| 5. | पर्यावरणीय स्थिरता | - | - | 0.77 | 0.77 | 1.54 |
| 6. | स्वास्थ्य देखभाल | - | - | 1.22 | 0.61 | 6.83 |
| 7. | आजीविका संवर्धन परियोजनाएं | - | - | - | 3.96 | 0.80 |
| 8. | ग्रामीण विकास परियोजनाएं | - | - | - | 0.94 | 0.36 |
| 9. | सुरक्षित पेयजल | - | - | 0.05 | | - |
| 10. | स्वच्छता | - | - | 0.01 | 0.13 | - |
| 11. | वरिष्ठ नागरिक कल्याण | - | - | 1.74 | 0.10 | - |
| 12. | अनाथालय की स्थापना | - | - | - | 0.86 | - |
| 13. | सामाजिक-आर्थिक समानताएं | - | - | 0.28 | - | - |
| 14. | विशेष शिक्षा | - | - | - | 0.00 | - |
| 15. | खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण | - | - | - | 0.09 | 2.08 |
| 16 | व्यावसायिक कौशल | - | - | 1.69 | - | 0.24 |
| कुल | | - | - | 10.46 | 10.46 | 21.22 |

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

**अनुलग्नक-III**

**09.02.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1460 के भाग (ख) से संदर्भित वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक कारगिल जिले में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय**

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | विकास क्षेत्र | वित्तीय वर्ष 2019-20 | वित्तीय वर्ष 2020-21 | वित्तीय वर्ष 2021-22 | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | पशु कल्याण | - | - | - | - | 0.03 |
| 2. | शिक्षा | - | - | 0.10 | 0.50 | 0.81 |
| 3. | पर्यावरणीय स्थिरता | - | - | - | 0.19 | 0.13 |
| 4. | स्वास्थ्य देखभाल | - | - | 1.81 | 0.54 | 1.58 |
| 5. | सुरक्षित पेयजल | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.44 |
| 6. | स्वच्छता | - | - | 0.00 | - | - |
| 7. | व्यावसायिक कौशल | - | - | 1.41 | - | - |
| कुल | | - | - | 3.35 | 1.26 | 2.98 |

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)